न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस
राजस्व अपील :: 12/2024
जीसीएमएस नम्बर :: 2024/62

अपीलाण्ट :–
1. कुकी पत्नी सुखदेव
2. सत्यनारायण पुत्र सुखदेव,
तमाम जातिगण ब्राह्मण,
निवासीगण रूपावास, तहसील
पाली जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–
भूमिधारी तहसीलदार पाली
तहसील पाली जिला पाली (राज.)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर पंचारिया
सरकारी पैरोकार उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– **29.07.2024**

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध तहसीलदार, पाली के प्रकरण संख्या 33/2021 आदेश दिनांक 15.07.2021 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर पंचारिया व सरकारी पैरोकार उपस्थित वक्त बहस उपस्थित हुए। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपने अपील मीमो में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा ग्राम रूपावास के खसरा संख्या 609 रकबा 0.02 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण मानकर अपीलाण्ट को बिना जवाब, साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया जो विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। खसरा संख्या 609 के पुराने खसरा संख्या 1170 रकबा 02 बीघा से बना है तथा खसरा संख्या 1170 की किस्म पूर्व में आबादी थी व पुराने खसरा संख्या 1183 व 1184 है व पश्चिम की तरफ आबादी भूमि में रास्ता दिया गया है। आबादी भूमि का अतिक्रमण हटाने का अधिकार तहसीलदार को नहीं होकर ग्राम पंचायत को है। अतः क्षेत्राधिकार से परे जाकर रेस्पोडेण्ट द्वारा पारित जैर अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। अतः रेस्पोडेण्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.2021 खारिज फरमावे।

जिला कलेक्टर, पाली

सरकारी पैरोकार ने अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि जैर अपीलाधीन आदेश नियमानुसार व क्षेत्राधिकार में रहते हुए पारित किया गया है। अतः अपील–अपीलाण्ट सारहीन बलहीन होने से खारिज फरमावे।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

उभयपक्ष द्वारा की गयी बहस व पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अपीलाण्ट द्वारा मौजा

रूपावास के खसरा संख्या 609 रकबा 0.02 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर उनके अतिक्रमण को हटाये जाने बाबत् तहसीलदार के आदेश दिनांक 15.07.2021 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलाण्ट के प्रमुख उज्र यह है कि खसरा संख्या 609 के पुराने खसरा संख्या 1170 रकबा 02 बीघा से बना है तथा खसरा संख्या 1170 की किस्म पूर्व में आबादी थी व पुराने खसरा संख्या 1183 व 1184 है व पश्चिम की तरफ आबादी भूमि में रास्ता दिया गया है। आबादी भूमि का अतिक्रमण हटाने का अधिकार तहसीलदार को नहीं होकर ग्राम पंचायत को है। अपीलाण्ट को दौराने बहस सूचित किया गया कि आराजी संख्या 609 का पुराना रकबा खसरा संख्या 1170 एवं खसरा संख्या 1178 से मिलकर बनपा है। यह तथ्य है कि खसरा संख्या 1170 की किस्म गैर मुमकिन आबादी थी परन्तु खसरा संख्या **1178 की** किस्म क्या थी? यह स्पष्ट नहीं है तथा अपीलाण्ट को निर्देशित किया गया कि आदेश दिनांक से पूर्व वह वर्तमान आराजी संख्या 609 की किस्म आबादी है या बिलानाम? उक्त की राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करे परन्तु उनके द्वारा उक्त रेकर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके विपरीत तहसीलदार द्वारा उक्त भूमि को बिलानाम रास्ता होना वर्णित किया है। अपीलाण्ट पर यह भार सिद्ध होता था कि वह उक्त भूमि को आबादी का रास्ता होने से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करे परन्तु उनके द्वारा इस बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

अतएव तहसीलदार द्वारा बिलानाम रास्ते के रूप में उक्त भूमि से अतिक्रमण हटाने का जो निर्णय किया गया है उसमें हम किसी प्रकार की कानूनी या वाक्याती त्रुटि नहीं पाते। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में अपील–अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **29.07.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली